(ii) These truck shall move with the cargo only during the day time and will not move during peak hours when there is rush of other vehicular traffic on the roads.

(iii) Red flags will be put on all the four corners of cargo, both at the front and the rear, indicating the full width of the cargo loaded on the trucks, so as to give reasonable caution to the vehicular traffic coming from behind and front.

(iv) The carriage of over dimensional cargo would be subject to payment of tax, if any, leviable under the provisions of the M.V. Taxation Act, or any other act of the concerned state.

(v) Any other conditions as may be prescribed by the concerned State Govt. keeping in view the local conditions of roads bridges, culverts and volume of movements of vehicular traffic etc.

(vi) The operator shall have the option to use any other truck trailer in the event of breakdown of any of the truck trailers mentioned in the Table for this specific job.

[No. Rt-11042/10/90-MVL]
G.K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.) 127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 19, 1991/श्रावण 28, 1913
No 457] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 19, 1991/SRAVANA 28, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1991

का.आ. 534(अ).—अतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 93 में विनिर्दिष्ट आकार से भिन्न प्रकार के कार्गो को, इस आदेश के साथ संलग्न सारणी के कालम 1 में विनिर्दिष्ट किस्म के वाहनों द्वारा परिवहन की अनुमति दी जाए।

2. अतः अब मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (3) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के उक्त नियम 93 के प्रावधान उक्त किस्म के वाहनों पर लागू नहीं होंगे।

सारणी

वाहन की किस्म	प्रचालन क्षेत्र	कार्गो के विवरण तथा आकार
ट्रक ट्रेलर संमिश्रण (2 ट्रेलर पंजीकरण सं. यू टी सी 9585 तथा यू टी सी 9755)	उ.प्र., राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से गुजरते हुए लखनऊ से बम्बई	2 ट्विन बीच एयर क्राफ्ट लंबाई– 31 फीट प्रत्येक चाड़ाई– 17 फीट प्रत्येक ऊंचाई– 8 फीट प्रत्येक

स्वामी :

मैसस फेरीवाला कैरियर्स एण्ड
काण्ट्रेक्टर्स, लखनऊ।

3. अति-आकार का कार्गो ले जाने के प्रयोजन के लिए दी गई उपर्युक्त छूट 31-12-91 तक वैध है तथा यह उपयुक्त सारणी में विनिर्दिष्ट भार के लिए ही है। उपर्युक्त छूट निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों पर भी निर्भर करती है :—

(i) ट्रक की गति 40 कि.मी. प्रतिघंटा अथवा [निम्नतर गति सीमा] को पार नहीं करेगी जो कि संबंधित राज्य सरकार, जिसके अधिकार क्षेत्र में ट्रक का प्रचालन किया जा रहा है, द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

(ii) ये ट्रक, कार्गो सहित, सिर्फ दिन के समय में ही चलेंगे तथा भीड़भाड के समय में, जब सड़क पर अन्य वाहनों का यातायात अधिक होता है, नहीं चलेंगे।

(iii) ट्रक में लदे हुए कार्गो की पूरी चौड़ाई दर्शाने के लिए आगे और पीछे दोनों ओर कार्गो के चारों कोनों पर लाल झण्डे लगाए जाएंगे जिससे आगे तथा पीछे आने वाले वाहन यातायात को उचित रूप से सावधान किया जा स

(iv) अति आकार के कार्गो की ढुलाई पर मोटर वाहन कराधान अधिनियम अथवा संबंधित राज्य के किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कर, यदि कोई है, लगाया जाएगा।

(v) कोई अन्य शर्तें, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा सड़क-पुलों, पुलियों की स्थानीय स्थिति तथा वाहन यातायात इत्यादि के संचलन की मात्रा को मद्दे नजर रखते हुए, निर्धारित की जाए।

(vi) प्रचालक को यह विकल्प होगा कि वह इस विशेष कार्य के लिए, सारणी में उल्लिखित किसी ट्रक ट्रेलर के खराब हो जाने की स्थिति में, किसी अन्य ट्रक ट्रेलर का प्रयोग कर सकेगा।

[फा. सं. आर टी-11044/10/90–एम वी एल]

जी.के. पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

ORDER

New Delhi, the 19th August, 1991

S.O. 534(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that a cargo different in dimensions than those specified in Rule 93 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, may be permitted for transportation by vehicles of the type specified in column 1 of the table annexed to this order.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub clause (a) of Sub-Section (3) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Govt. hereby directs that the provisions of the said Rules 93 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall not apply to the said type of vehicles.

TABLE

Type of Vehicle	Area of Operation	Particulars & dimensions of the Cargo.
Truck trailer combination (2 trailers Registration No. UTC 9585 & UTC 9755)	From Lucknow to Bombay passing through the States of U.P., Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra.	2 Twin Beach aircr fts Length—31ft each Width—17 ft. each. Height—8ft. each.

Owned By :

M/s. Feriwala Carriers
& Contractors, Lucknow.

3. The above relaxation for the purpose of carrying over-dimensional cargo is valid up to 31st Ded., 1991 and is only for the load specified in the table above. The above relaxation is also subject to following additional conditions :

(i) The speed of truck shall not exceed 40 k.m. per hour or the lower speed limit as may be prescribed by the concerned State Govt. in those jurisdiction truck is moving.